

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ 1(3) आप्रसआ/ओला0/2019/7369-7405 जयपुर, दिनांक 13-09-19

अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त रबी फसल 2019 (संवत् 2075) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 4 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से एक माह तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	प्रस्तावित प्रभावित गांवों की संख्या
1.	बून्दी	18
2.	चूरु	3
3.	नागौर	1
4.	सवाईमाधोपुर	18
कूल योग:-		40

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव